

अज अदालत

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

नारायण

बनाम

चारभुजा जी गवोर मंडिर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 36/2025

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28.01.25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती नारायण

पिता श्री रामलाल लोधा

निवासी- खानेवाड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम पिपली (उ.ब. ओड़ुन्ड) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....

470/1084

कुल कीता 01 कुल रकबा 0.0850 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम पिपली (उ.ब. ओड़ुन्ड) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 470/1084

कुल कीता 01 रकबा 0.0800 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500 रुपये अक्षरे पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।


(सिने केवल)

सहायक कमिश्नर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)